



2

नोंदणीचे प्रमाणपत्र

याहारे प्रमाणपत्र केप्राप येते की; लाली वर्णन ईलेखी सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था ही थांत, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था विविधम, १९५० (यत १९५० या मुंबई विविधम अमांक ३१) का दर्जवे

नागपूर येथील सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था नोंदणी कार्डलाऊ योग्य रीटीके नोंदव्यात आलेली आहे.

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थेचे वाच **इंडीफ्ल** ग्रुप - **ठेलोअर** **मलव्हिपरपल** -
शोशाप्टी, **नागपूर**

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थांच्या नोंदणी पुस्तकातील क्रमांक **पुफ** - **१९६५४ (ना.)**
क्री-**लोककृष्ण** **शामंद्र** तस्मानिके याच प्रमाणपत्र दिले.

आज दिनांक १३-२-१९९५ रोजी माझ्या सहीनिश्चि विले.



वही
वदवाप
संगमक घरादाय आयुक्त
नागपूर विभाग, नागपूर

[विशेष-ध. गा./मू. सा. नि./५०८.

Nº 12638



नोंदणी प्रमाणपत्र

संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६०

(१८६० चा अधिनियम २१)

नोंदणी क्रमांक मर्ट्ट/३२९/८४
नागपूर

याहारे यसे प्रमाणित करण्यात ऐतो हो, इंडीयन अमेरिकन वेलफेअर

मल्टीपरपज सोसायटी नागपूर

बांडीचारबेस संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० (धन. १८६० चा अधिनियम २१) बन्ये योग्यरित्या नोंदणी करण्यात आली.

तारीख ११ ऑगस्ट १९६४ रोजी मास्त्या सहायक दिले.



संस्थाचे सहायक निवंधक,

नागपूर विभाग.

"इंडीयन युथ वेलफेर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपूर इस संस्था का द्वापण N. S.
Nagpur Region

भेगोरण्डम ऑफ असोसिएशन

[१] संस्थाका भाग : इस संस्था का नाम "इंडीयन युथ वेलफेर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपूर यह रहेगा ।

[२] संस्था के कार्यालय : इस संस्था का कार्यालय ३६५ मौलाना आजाद मार्ग गांधीनगर नागपूर - १०१ श्री.बालकृष्ण रामवंद्र वासनिक ३६५ मौलाना आजाद मार्ग गांधीनगर, नागपूर १०

[३] संस्था के उद्देश्य : संस्था द्वारा दलीत आदिवासी तथा आर्थिक दुर्लभ लोगो के स्वर्गीय विकास के द्वेष्ट ऐश्वर्णीक, सामाजिक, सांस्कृतीक, शारीरिक तथा नेतीक, मानसीक बैधीक कार्य करना १०

ऐश्वर्णीक :- संस्था द्वारा प्रायमरी, कॉन्टेन्ट, हायस्कूल, महाविद्यालय, उचितशिष्ट, आर्ट, कॉर्स, सायन्स, सोसलसायन्स, लॉ.फीजी.कल, मेडीकल, मेडीतीयन, कार्गती, आयुर्वेदीक, हॉमॉपैथीक, इंजिनियरिंग टेक्नालॉजी, ट्रेवताई, टेक्निकल, कृषी, बिझीनेस मैनेजमेंट, वस्तीगृह, युवक कल्याण, मनुष्य विकास के अंतर्गत आजु वाली सभी प्रकार की योजना शिखा तथा शोध कार्य चलाना ।

सामाजिक :-

[१] शिखित बेरोजगार के विकास के द्वेष्ट आय.टी.आष्पॉलीटे-कनिक चलाना

[२] कितान भार्ड्जो के लिये तंत्रज्ञान, बीज, रातायणीक खत, जंबू नरसक दवाईयों के लिये प्रशिक्षण केंद्र चलाना ।

बालविकास के द्वेष्ट : पालना घर, बालक मंदीर, बालवाडी, आंगणवाडी आश्रमस्कूल, अनाशालय, वस्तीगृह चलाना ।

वृद्धदाश्रम, बेसहारा महिलाओं के लिये, वनिता विकास शूह, महिला आश्रम चलाना ।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली योजनाये शिवणकला, स्कूलरी नक्काशी, हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र अंथ, अपंग, मंतीमद, दुर्लभ मनस्क, कृष्टरोग विकास के द्वेष्ट चादरी, संतरंजी, विनकाम तथा केनिंग प्रशिक्षण केंद्र चलाना ।

[६] गरीबों के लिये मोफ्त कानुनी सल्ला केंद्र चलाना तथा हुंशार और गरिब विद्यार्थियों के लिये वाधणालय के मार्फत शालेय किताब, वर्तनान पत्रे उपलब्ध कर देना ।

[७] पर्यावरण संतुलन बनाये रखने द्वेष्ट सामाजिक तनिकरण, वृद्धारोपण अंतर्गत आनेवालीयोजनाये कार्यान्वयित करना ।

सांस्कृतिक :-

सांस्कृतीक विकास के हेतु गायण, वादण, नृत्य, नाटक तथा अभिनय कला केंद्र तथा महा विद्यालय चलाना ।

शरीरीरिक :-

शारीरीक विकास के हेतु स्कूल, प्रशिक्षण केन्द्र, महा पालय, देशों विभेदी, खेलों के प्रशिक्षण केन्द्र, स्थीरांड, औत्तमपीक स्पर्धा में भाग लेने के लिए टिम तयार कर और उसे प्रशिक्षण देना ।

नेतिक, मानसिक, :- लोगों को भौतीक मानसिक बैदीक विकास के हेतु,

बौधीक

अध्यायन केन्द्र, ध्यान केन्द्र, ज्ञान केंद्र, तथा वाचनालय चलाना । धोर पुस्तकों के विचारों का ज्ञान प्राप्त हेतु स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महात्मा जोतीबापुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इन महापुस्तकों के महान विचारों का ज्ञान प्राप्त करना । प्रेक्षणीय स्थलों के सहेलीओं का आयोजन करके लोगों के पुरातन स्थलों का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रधान करना

Prakriti *Prakriti*

"देढ़ीयन दुध वेलफैलर मन्त्रीपरायज तोसायटी," नागपूर इस तंत्रिका के संविधान द्वारा तंत्रिका के पासले कार्यकारी मंडल में निम्नतिथित पदाधिकारी एवं सदस्य रहेंगे, जिनमें तंत्रिका के आधार तंत्रिता [नियमाबदी] द्वारा कार्यभार तंत्रित की गिरिदारी तौष्णी जाती है। उस कार्यकारी मंडल के तदृश्यों का पूरा नाम, पद, उम्र, व्यवहार राष्ट्रीयत्व निम्नतिथित है।

अ.क्र.	सदस्यों का पूरा नाम	पत्ता	आयु	व्यवहार विधि	पद	राज.
--------	---------------------	-------	-----	--------------	----	------

१]	श्री.बालकृष्ण रामचंद्र वातनिक	३६५ मौलाना	६५	तामाजिक अध्यव भा		
		आजाद मार्ग,		कार्यकर्ता		
		गांधीनगर, नागपूर ३०				
२]	श्रीमती.सुमनतार्ड बालकृष्ण वातनिक	-----"	६०	घरकाम	उपाध्यक्ष	--
३]	श्री.पुष्पचंद्र मारोत्तराव बेलेकर	४३/२ वैशालीनगर ६४	३२	तामाजिक त-चिव	--	
		नागपूर-१७		कार्यकर्ता		
४]	श्रीमती.दिप्ती अमितांकर तक्सेना	पूर्वनरकेशरी ने	३२	घरकाम	कोषाध्यक्ष	--
		आठूटजयपुराशनगर, नागपूर	२५			
५]	श्री.सुशिलकुमार पुष्पचंद्र बेलेकर	४३/२ वैशाली नगर २६	३२	तामाजिक तडतचिव	--	
		नागपूर-१६		कार्यकर्ता		
६]	श्री.नारायण गोगलूजी मैश्वरम	चॉक्स कॉलोनी	६६	तामाजिक सदस्य	--	
		नागपूर-१४		कार्यकर्ता		
७]	श्रीमती भीनातार्ड चंद्रकांत जावडेकर	"कमलपुरभा" पंतोली	५०	घरकाम	--"---	--
		नागपूर				
८]	श्रीमती लिलातार्ड तरु मैश्वरम	लषकरीबाग, नागपूर.	४५	शिक्षीका	--"---	--
		नागपूर-१७.				
९]	श्रीमती सुनिता राजेन्द्र वाघारे.	बारसे नगर,	२८	घरगुती	--"---	--
		पांचपावली,				
		नागपूर.				

अङ्गम निम्न हस्ताधर कर्ता छंडीयन युथ बेलेकर मर्टीपत्रक तोतायटी, नागपूर तंत्या के सदस्य मितवर पोषित करते हैं ही, तोतायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० के अंतर्गत "छंडीयन युथ बेलेकर मर्टीपत्रक तोतायटी" नागपूर नामक संस्था की स्थापना हेतु इसकी पंजीकरण के इच्छुक है। इस एकत्रित होकर यह संस्था आज तारीख २. १. १४ को स्थापन कर उपरोक्त संस्था तोतायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० के अंतर्गत पंजीयन करने हेतु इस विधानपत्र पर हस्ताधर किये हैं।

अ.कृ. सदस्यों का पूरा नाम रूप पता

हस्ताधर

- १] श्री. बालकृष्ण रामवंद्र वासनिक, ३६५ मौलाना आजाद
स्कॉर्च गाँधीनगर, नागपूर-१०
- २] श्रीमती. सुभनताई बालकृष्ण वासनिक, ३६५, मौलाना स्कॉर्च गाँधीनगर
आजाद मार्ग, गाँधीनगर, नागपूर-१०
- ३] श्री. पुष्पवंद्र मारोतराव बेलेकर, ४३/२, विशालीनगर, १०३३८
नागपूर-१०.
- ४] श्रीमती. दिप्ती अमितांकर सक्सेना, पूर्वनरकेतरी ले अंगूष्ठ विषयक
आउट, जयशुक्लगंगनगर, नागपूर-२५
- ५] श्री. सुशीलकुमार पुष्पवंद्र बेलेकर, ४३/२ विशाली नगर,
नागपूर-१०
- ६] श्री. नारायण गोगलजी मेश्राम, चौक्स छौलोनो, नागपूर-१४ नावाण्डाराज
- ७] श्रीमती. मीनाताई वंद्रकांत जावडेकर, "कमलपुर्भार" गोपीनाथ द्वितीय
धूतोली, नागपूर.
- ८] श्रीमती लिलाताई सरु खेलाम, कडकरीबाग, ८२५, ८०५-८०८
नागपूर-१०.
- ९] श्रीमती सुनिता राजेन्द्र वाघमारे, बालेनगर, पांचपावली ३२२ अंगूष्ठ
नागपूर.

स्थल : नागपूर.

तारीख: २. १. १४

उपरोक्त व्यक्तियोने मेरे सम्मुख इस विधानपत्र पर हस्ताधर किये और मै उन्हें प्र्यानता हूँ।

विशेष छार्यकारी दंडाधिकारी रेकोर्डस्ट्रीलेखा
नोटर्स-सूरा ताम, अंगूष्ठ रंदीतिल

सुन्दर रंद तारीख २.१.१४

१. २५२५

एकांक नाम्बर १००५४

"हड्डीयन युथ बेलफेलर/मल्टीपरपज सोसायटी" नागपूर इस तंत्या अधिनियम ००

संघियान

तंत्या का कार्यालय :- इस संत्या का कार्यालय स्थी. बालकृष्ण रामचंद्र वासनीक
उद्योग मौलाना आजाद मार्ग गोपी नगर-१०.
नागपूर ५०

१. संघियान के संदर्भित शब्दों की व्याख्या :-

- संत्या अर्थात् "हड्डीयन युथ बेलफेलर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपूर पहुँच समझी जाएगी।
- अधिक अर्थात् "हड्डीयन युथ बेलफेलर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपूर इस संत्यां का अधिक समझा जाएगा।
- उपाधिक अर्थात् "हड्डीयन युथ बेलफेलर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपूर इस संत्या का उपाधिक समझा जाएगा।
- संघिय अर्थात् "हड्डीयन युथ बेलफेलर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपूर इस संत्या का संघिय समझा जाएगा।
- संघियव अर्थात् "हड्डीयन युथ बेलफेलर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपूर इस संत्या का संघियव समझा जाएगा।
- क्रोषाधिक अर्थात् "हड्डीयन युथ बेलफेलर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपूर इस संत्या का क्रोषाधिक समझा जाएगा।
- सदस्य अर्थात् "हड्डीयन युथ बेलफेलर मल्टीपरपज सोसायटी" नागपूर इस संत्या का सदस्य समझा जाएगा।
- संत्या का कार्यक्रम :- इस संत्या का कार्यक्रम संपूर्ण भारत रहेगा।
- वित्तीय वर्ष :- इस संत्या का वित्तीय वर्ष १ औल ते २१ मार्च तक रहेगा संत्या की सदस्यता एवं उसकी प्रक्रिया :- कोई भी २१ वर्ष का भारतीय व्यक्ति संस्था का सदस्य हो सकता है। सदस्यत्व पंजीयन हेतु अधिक पा संघिय के पात स्पैस ५/- भरकर आवेदन करना होगा, तथा कार्यकारी मंड के सर्वतम्मती से मुख्यमित्रियों के उपर्यूप नियोगित सदस्यता शुल्क संत्या में जमा करते पर उसका नाम पंजीयन सदस्य त्रूची में किया जाएगा।
- सदस्या के प्रशार :-

- आजीवन सदस्य - स्थपे १००/- संसद देशर सर्वसु अधिक संसद वाले व्यक्तियों संत्या का आजीवन सदस्य बनाया जाएगा।

अस्त्रांगा थे, लोकर मिश्रा के छार्ड में दखल हुए रहा थे,
रथसूमि से सदस्यत्व वा राजीनामा दिया था, चरक नियमों वा उल्लंघन
करता थे, तगातार व समाँ में पोर्ट बारप में अनुपस्थित रहता थे,
सृष्टा हैं विसी भी प्रकार का गव्वन करता थे, तथा किती भी अनुचित
कार्य में उन्हें तजा हुयी थे, सदस्यों में समय पर्व न बरी हो तो उन्हें
सृष्टा के द्वितीय कार्यकारी मॉडल की सभा में प्रस्ताव पाठीत कर बहुमत से
निष्काता जायेगा।

५. आम सभा और उसके अधिकार :— आमसभा यह साल में कम से कम एक बार
होगी। इस सभा में सभी प्रकार के सदस्य भाग से लेंगी। इस सभा का
निर्णय यह द्वितीय निर्णय व सर्व ब्लैड निर्णय माना जायेगा।
१. कार्यकारी मॉडल के कार्यालय नियंत्रण रखना।
 २. ३/५ सभासदों के बहुमत से संविधान में बदल करना।
 ३. पिछली आम सभा में स्विकार छपि गये प्रस्ताव पटकर बताना।
 ४. पिछले जमा सर्व ब्लैड स्विकृति देना।
 ५. नये साल के लिये बनाये गये ब्रिडाजमन को संबोरी देना।
 ६. सभासदों की ओर से आये हुये विषयों पर चर्चा रखना।
 ७. अपेक्षा की अनुमति से आत्रेयसे सृष्टा के उन्नती में संबधीत विषयों पर
चर्चा करना आदि।

८. आम सभा की सूचना सर्व गणपूर्ती :— आमसभा की सूचना १० दिन पहले
सदस्यों को देना चाहिए। नोटीस से स्थल, समय, तारीख एवं विषय
स्पष्ट लिखा जायेगा। आम सभा की गणपूर्ती के लिये २/३ सदस्यों
की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। सभां की गणपूर्ती न होने पर स्थगीत
सभा उसी स्थल पर आये घटि बाद ली जायेगी। उस सभा को गणपूर्ती
की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी सूचना नोटीस बुक पर रखा
आवश्यकता रहेगा। तथा नोटीस बुक पर सदस्यों के दस्ताखर लेज़ा
आवश्यक रहेगा। सदस्यों के नोटीस बुक पर दस्ताखर न करने पर उसे
रजिस्टर्ड पोष्ट में पा.पी.सी. से नोटीस दिया जायेगा।

९. विशेष आमसभा सर्व उसके कार्य :— आवश्यकता होनेपर सृष्टा से आम सदस्य
की विशेष आमसभा लेकर आवश्यकता नुसार निर्णय लिया जायेगा।
सभा की सूचना सात दिन पहले देना चाहेगा। सभा की २/३ गणपूर्ती
आवश्यक रहेगी। सभा की गणपूर्ती न होने पर स्थगीत सभा उसी स्थल
पर आये घटि बाद ली जायेगी। उस सभी को गणपूर्ती की आवश्यकता
रहेगी। लेकिन ऐसी सूचना नोटीस बुक पर रखा आवश्यक रहेगा।
नोटीस बुक पर दस्ताखर लेज़ा सदस्यों की नोटीस दिया जायेगा।

रजिस्टर पोस्ट ते उथा प.पी.सी ने नोटीस दिया जाएगा।

१८. संस्था के कार्यकारी मैडल एवं पदाधिकारियों की रचना :- इस संस्था के कार्यकारी मैडल में शूल नौ सदस्य रहेंगे। जिनमें निम्नतिखित पदाधिकारी और सदस्य छोड़े जाएँगे।

१. अध्यक्ष-१, २. उपाध्यक्ष-१, सचिव -१ ४. सचिव-१.

५. कोषाध्यक्ष-१, सदस्य - चार।

१९. कार्यकारी मैडल का कार्यकाल एवं चुनाव की पद्धति :- कार्यकारी मैडल का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा। कार्यकारी मैडल का चुनाव तथा पदाधिका का चुनाव दर तीन वर्ष बाद आमतमा में तदस्यों के बहुमतों से नियम जो कार्यकारी मैडल के पदाधिकारी, उनके कार्य और दायित्व।

अध्यक्ष :- १. संस्था की संपत्तीयों पर तथा कार्यों पर नियंत्रण रखना। २. रक्ष्या लेन देन संबंधी की व्यवहार करना। ३. संस्था के द्वितीय में समय पर मार्गदर्शन करना, खर्च के बिलों के पर व्यताखर करता, द्वितीय की बीड़ीबोर्ड पर सही करना, संस्था का पत्रव्यवहार करना, आकाशक नियम करना आदि।

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिती में अध्यक्ष का कार्य करना तथा संस्था कार्य में मदत करना।

सचिव :- १. संस्था की सभा का नोटीस जारी करना, तथा सभा का आयोजन करना। २. सर्वताधारप और कार्यकारी मैडल के सभा का प्रस्ताव प्रेस्टिंग बुक में लिखकर और ऐसे अंमल में लाना तथा आवश्यक नियम करना। ३. मैम्बर शिप रजिस्टर, केशबॉक्स, लेजरबॉक्स, खर्च के व्यवहार [ट्रांजर] रसिद बुक लिखना। ४. संस्था का पत्रव्यवहार करना, तथा आकोर्ट क्वार्टरी के कार्य करना। ५. पैसे के भेनदेन संबंधी व्यवहार करना, की संपत्तीयों पर व्यवहार करना। ६. संस्था के उपेश की प्रगती के लिये तथा विकास के प्रयात करना। खर्च के लिये ५००/-०० पर्यंत सौ स्पष्ट जमा रखा जाएगा।

सचिव :- सचिव की अनुपस्थिती में सचिव का कार्य करना, संस्था कार्य में मदत करना।

कोषाध्यक्ष :- १. द्वितीय रखना, लिखना तथा उसका जमा पत्रक तथा करना कार्यकारिणी की मूर्जूरी तेना और उसका ऑडीट करना।

२. रसिद दुनों पर छताएँ रखना, उसका ट्रॉच दुक बनाना।

कार्यकारी मंडल के सदस्य :- छायाचारा मंडल के सभा जाल पत्र। नं ०५।।१५॥
रहना तथा सभी विकासशील कार्य में मदत करना। चुनाव में मतदान करना।

अन्य सदस्य :- आम सभा में उपस्थित रहना। चुनाव में मतदान करना एवं
संस्था को आकाशगंगा मदत करना।

१३. कार्यकारी मंडल की सभा एवं अनुरोध सभा :- कार्यकारी मंडल की सभा
तीन महिने में एक बार ती जायेगी। २/३ सदस्यों के नियित अनुरोधपर
सात दिन के अंदर सभा आयोजित कर्जायेगी।

१४. कार्यकारी मंडल के सभा की सुचना तथा गणतंत्र :- कार्यकारी मंडल के
सभी की सुचना ७ दिन पहले सदस्यों को दिया जायेगी। सुचना में स्थल, स
तारीख, विषय स्पष्ट लिखा जायेगा। गण्मूर्ति के लिये २/३ सदस्यों की
उपस्थिती आकाशगंगा रहेगी। नोटीस ब्रह्म पर सही लेकर सदस्यों द्वारा नोट
दिया जायेगा। नोटीस ब्रह्म पर सही न करने पर रजिस्टर्ड पोस्ट ते अधिका
पू.पी.सी से नोटीस दिया जायेगा।

१५. कार्यकारी मंडल के चुनाव के लिये संस्कृत नियम :- १. सदस्यों की ओर
संस्था की किसी भी प्रकार की रक्षम बकाया छोड़ेगी उसे संस्था के चुनाव
में भाग लेने का या मतदान करने का अधिकार नहीं रहेगा। २. एक कई
सापारप सदस्य रहने पर मतदान का अधिका पुनाव में भाग लेने का
अधिकार रहेगा। ३. चुनाव की तारीख की सुचना विधरा दिन पूर्व लिये
नोटीस द्वारा दी जानी चाहिये। ४. चुनाव अधीकारी की नियुक्ति
३० दिन पूर्व करना चाहिये। ५. चुनाव सर्वसाधारण सदस्यों के बहुमतों
में आम सभा में किया जायेगा।

१६. कार्यकारी मंडल के रिक्त पद भरने वालत :- किसी द्रष्टव्य के त्यागमन्त्र से
मुक्त या किसी कारणवश कोई भी पद की जगह रिक्त होनेपर व
जगह कार्यकारी मंडल बहुमतों से उस कार्यकारी मंडल के कार्यकाल तक के
भेजे गी।

अ. त्यागमन्त्र देना : पदाधिकारियों द्वारा त्यागमन्त्र देना हो तो उन्होंने
त्यागमन्त्र अधिक अधिक सविव को देना चाहिये।

ब. त्यागमन्त्र स्विकार करना : त्यागमन्त्र मिलने पर उसे कार्यकारी मंडल
की सभा में रखा जायेगा। कार्यकारी मंडल की सभा में स्विकृति मि
पर त्यागमन्त्र स्विकार किया गया ऐसा माना जायेगा। त्यागमन्त्र
स्विकृत द्वारा तब उनका पद एवं सदस्यता काप्रम रहेगी।

कर्म में लम्हे कम चार तम्भों द्वानी यादि ।

१. सर्वतापारप सभा में पारित किये गये प्रस्तावों को अंग्रेज़ में लाना ।
२. पिछले सभाओं में दृश्य लिये गये प्रस्ताव पढ़कर बताना ।
३. सत्था के कार्यपाल और संपत्तीयों पर निपटन रखना ।
४. सत्था के लिये लम्हा रिक्षों की निपटती करना, उन्हें निकालना, उनपर निपटन रखना, जिससे सत्था का कार्य सुचारू स्थिति हो जाए ।
५. निधि, दान, अनुदान आदि स्थिरकृत करना ।
६. नये सदस्यों के आधेदन पर चर्चा करना, उन्हें स्थिरकृति देना, अधिकार नहीं देना ।
७. संविधान में संजोयनपर चर्चा करना और उसे स्थिरकृति के लिये सर्वतापारप सभा में रखना ।
८. कार्यकारिणी में रिक्त हृषी जगह को भरना ।
९. उपशाखा और उपसमितीयों की निपटती करना ।
१०. अपेक्षा की अनुमति के अन्य क्षियों पर चर्चा करना ।

१८५ सत्था की आय :-

इस सत्था की आमदनी का साधन प्रत्येक फी, सभातद वार्षिक फीस, घोदा, दान, अनुदान, निधि तथा किसी व्यक्ति या देश से प्राप्त रकम आदि ।

- १९६ उपेक्ष्यों पर कई बाबद प्रावधान :- सत्था व्यारा ऐश्वर्यिक उपेक्ष्यों पर ५०२, सामाजिक २०१, लैंटकृतिक १०२, शारिरीक १०२, नेतृत्व मानसिक और बौधिदक १०२ कई किया जायेगा ।
- २०१ कर्जा या अमानत लेने से संबंधी प्रावधान :- सत्था को आवश्यकता होने पर किसी भी व्यक्ति या सभातद से कर्जा या अमानत लिया जा सकेगा, इसलिये आवश्यकता पूर्व अनुमति या भूमि पर्मदाय सह आयुक्त नाम्बूर से होनी होगी ।
कर्जा या अमानत हेतु या राज्य बादी ग्रामोदयोग आयोग से या किसी देश व्यक्ति से प्राप्त कर लेंगी । आवश्यकता नुसार सत्था की स्थावर तैयारती बिंदवी रख सकेंगे । बादी ग्रामोदयोग आयोग की ओर से व्याप्ति प्राप्ति प्रमाण पत्र मिलने पर सत्था देश से उपार से होंगी ।

जरुरी होने पर संस्था की अनावश्यक संपत्तीयाँ छेदों जा सकेगी। स्थाई संपत्तीयाँ छेदने के परिणे आर्धकारी मृदुल वा प्रस्ताव पारित कर मा. पर्मादाय सह. आयुक्त. नागपूर से पुर्व अनुमति लेनी चाहिए।

२२. बैंक बातें :- इस संस्था की बकाया राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी। रक्कम निकालने का अधिकार अध्यक्ष, सचिव और को-अध्यक्ष द्वारा हो सकता है। इसमें से किसी दो के संयुक्त सही तौर पर बैंक से रक्कम निकाली जायेगी।

२३. सदस्यों की सूची :- १८६० के संस्था पंजीयन अधिनियम १५ के अनुसार संस्था के जो सभासद रहेंगे, उनको एक सूची १९७१ के संस्था पंजीयन महाराष्ट्र नियम की पारा ७ के अंतर्गत अनुसूची क्रमांक १, नियम ८ अनुसार अनुसूचित क्रमांक २ संव नियम १५ अंतर्गत अनुसूची क्रमांक ६ के प्रोफार्म में रखी जायेगी।

२४. नियमावली भै संशोध संबंधी प्रावधान :- संविधान में संशोध करने की आवश्यकता हो तो सर्वसाधारण सभी में सदस्यों को ३/५ बहुमतों ते प्रस्ताव मंजूर कर आवश्यक नये नियम तयार करना तथा नियम क्रम करना, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० के पारा १२ के अंतर्गत कार्यवाही पूरी करनी चाहिए।

२५. संस्था के नाम और बुद्देश्यों में परिवर्तन के संबंधी प्रावधान:- संस्था के नाम और बुद्देश्य में परिवर्तन करना हो या दो संस्था के विलीनीकरण की आवश्यकता हो तो १८६० के संस्था पंजीयन अधिनियमों की पारा १२ अथवा १२-अ के अंतर्गत कार्यवाही करनी चाहिए।

२६. संस्था का वितर्जन :- संस्था को वितर्जित करना हो तो सर्वसाधारण सभा में ३/५ सदस्यों के बहुमतों ते प्रस्ताव मंजूर करना होगा, संस्था की ऐसी रक्कम या संपत्तीयाँ किसी द्वितीय संस्था को दान के रूप में देना चाहिए। ऐसे ही संस्था में लेनदेन संबंधीत व्यवहारों को पुरा करना चाहिए, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० की पारा १३ और १४ के अंतर्गत संस्था वितर्जन बाबद योग्य कार्यवाही करना चाहिए।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की "डॉयन युथ बैलेक्स अर मल्टीप ट्रज सोसायटी" नागपूर तह. जि. नागपूर के संविधान की सत्यपुती है।

स्थल : नागपूर

तारीख: २१९/१८

<u>अ.क्र.</u>	<u>नाम</u>	<u>पद</u>	<u>इस्ताधर</u>
---------------	------------	-----------	----------------

१] श्री. बालकृष्ण रामयंद्र
वासनिक

अध्यक्ष

२] श्री. पुष्पयंद्र मारोत्तराव
बेलेकर

सचिव

३] श्री. तुशिल कुमार पुष्पयंद्र
बेलेकर

तह सचिव

Certified To Be
Xerox True Copy

Public Library
Nagpur